(9)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रकरण क्रमांक R. 1156-तीन/14

21.3.14

1. रमेश प्रसाद तिवारी तनय स्व0 बैजनाथ प्रसाद तिवारी
2. ओम प्रकाश तिवारी तनय स्व0 श्री बैजनाथ प्रसाद तिवारी
3. शिवशंकर तिवारी तनय स्व0 बैजनाथ प्रसाद तिवारी

सभी निवासी ग्राम खाम्हा, पो0 लोही, तह0 गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)

..................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती ऊषा तिवारी पत्नी स्व0 श्री राजमणि प्रसाद तिवारी
2. बृजेश तिवारी तनय स्व0 श्री राजमणि प्रसाद तिवारी
3. कौशल प्रसाद तिवारी तनय स्व0 जगदीश प्रसाद तिवारी

सभी निवासी ग्राम खाम्हा, पो0–लोही, तह0–गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

....................**गैर निगरानीकर्तागण**

श्री...सत्यदेव दुबे... द्वारा आज दिनांक 21-03-14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह0 हुजूर जिला–रीवा (म0प्र0) के प्रकरण कमांक 204/अ–27/12–13 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

क्षेमराजप्रसाद तिवारी / उमा तिवारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक :1156/III/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7.4.2014	यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 204/अ–27/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10–3–14 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।	
	2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी की ग्राह्यता पर तर्क दिया कि तहसीलदार हुजूर के न्यायालय में आवेदक क–1 व 2 ने बटवारा एंव वारिसाना नामान्तरण का आवेदन दिया, जो तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 236/अ–27/12–13 में पारित आदेश दिनांक 26–8–13 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई। सुनवाई के दौरान अनावेदकगण ने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलीय कोर्ट में आवेदन दिया, जिस पर आवेदकगण ने आपत्ति की, किंतु आवेदकगण की आपत्ति को अनदेखा करके अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 10–3–14 से अनावेदकगण को साक्ष्य का अवसर देने में त्रृटि की है क्योंकि अपील के दौरान किसी भी पक्ष की साक्ष्य नहीं ली जा सकती।	
	4/ प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है क्या अपील के दौरान अनुविभागीय अधिकारी किसी पक्ष की साक्ष्य आदि	

ग्रहण कर सकते हैं ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 44 सहपठित धारा 49 – अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति – अपील प्राधिकारी अपील में अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण कर सकता है – वशर्ते कि विरोधी पक्ष को खंडन का अवसर दिया जाय।

आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष , यदि वह अनावेदकगण की लेखी–मौखिक साक्ष्य ग्रहण करते हैं – खंडन का अवसर प्राप्त है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण भी तदाशय की अनुमति प्राप्त कर निजहित में लेखी–मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 10–3–14 से लिया गया निर्णय विधि–अनुकूल है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 204/अ–27/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10–3–14 विधिवत् होने से निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायाय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस कर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर